संथाल परगना अधिनियम, 1857

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

साधारण विनियमों और अधिनियमों के प्रवर्तन से निकाले गए जिले ।

[1][संथाल परगना अधिनियम, 1857]

(1857 का अधिनियम संख्यांक 10)

[20 मई, 1857]

**1855 के अधिनियम संख्या 37 को
संशोधित करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यत: 1855 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित कतिपय जिलों को साधारण विनियमों और अधिनियमों में प्रवर्तन से निकाला गया था; और यथा इस प्रकार निकाले गए जिलों के बारे में कतिपय परिवर्तन करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

साधारण विनियमों और अधिनियमों के प्रवर्तन से निकाले गए जिले—[2]*** उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध, जो उसकी अनुसूची में वर्णित जिलों को लागू होते हैं, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, केवल इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित जिलों को उसी प्रकार लागू होंगे मानो इस अधिनियम की अनुसूची, 1855 के अधिनियम संख्या 37 की अनुसूची हो ।

———

[1] संक्षिप्त नाम, संशोधन अधिनियम, 1903 (1903 का 1) की अनुसूची 1 द्वारा दिया गया है ।
1855 के अधिनियम सं० 37 की अनुसूची में वर्णित रूप में इस अधिनियम का विस्तार संथाल परगना पर है ।

[2] 1870 के अधिनियम सं० 14 द्वारा कतिपय शब्द निरसित ।